RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-10
October-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i10.014

व्यक्तिगत सत्याग्रह में सिवनी जिले का अवदान

डॉ. संकेत कुमार चौकसे

सहायक प्राध्यापक इतिहास, राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 October 2020

Keywords
व्यक्तिगत सत्याग्रह

***Corresponding Author**
Email: sanket.chouksey[at]yahoo.com

ABSTRACT

व्यक्तिगत सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन और कांग्रेस के मध्य 'पूर्ण स्वतंत्रता' के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका। अतएव महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन संचालित किया गया। यह आंदोलन गांधीजी द्वारा किये गये अन्य आंदोलनों से भिन्न प्रकृति था। यह किसी प्रकार का जन आंदोलन नहीं था जिसमें व्यक्ति सामूहिक रूप से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करे। अपितु यह एक व्यक्तिगत प्रयास था जिसके अंतर्गत गांधीजी द्वारा चयनित सत्याग्रही जनसमूह के समक्ष युद्ध विरोधी नारे अथवा भाषण प्रस्तुत कर गिरफ्तार होने तक सत्याग्रह करता रहता था। यह आंदोलन लगभग 14 माह की दीर्घ अवधि तक अपूर्व उत्साह से संचालित किया गया जिसमें जमनालाल बजाज जैसे उद्योगपति से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के साधारण कृषक तक समाज के हर वर्ग ने महत्वपूर्ण योगदान देकर इसे सफल बनाया। प्रस्तुत शोध पत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि एवं घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इस सत्याग्रह में सिवनी जिले के अवदान को बतलाया गया है।

प्रस्तावना

द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ होते ही वायसराय ने एक घोषणा कर भारत को युद्ध में ब्रिटेन के साथ जोड़ दिया। इस संबंध में न तो भारतीय नेताओं से परामर्श करना उचित समझा गया और न ही प्रांतीय सरकारों से इस बारे में कोई विचार–विमर्श किया गया। अतएव कांग्रेस समिति ने निर्णय लिया कि इंग्लैण्ड को युद्ध में किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। इस दिशा में प्रथम कदम उठाते हुए समस्त कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिए। जून 1940 तक युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई। साम्राज्यवादी विचारों से प्रेरित तात्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने वैधानिक गतिरोध दूर करने तथा भारतीयों का सहयोग लेने की मंशा से 8 अगस्त 1940 को शासन की ओर से एक वक्तव्य जारी किया जो 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार और उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि, युद्ध परामर्श समिति की स्थापना, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा संविधान निर्माण प्रस्ताव तथा अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना कोई संवैधानिक परिवर्तन लागू न करना इत्यादि प्रावधान रखे गये थे। साथ ही इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि– 'एटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा' अर्थात भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य ही दिया जायेगा।[1]

इस प्रस्ताव से भारतीय कांग्रेस को पूर्ण विश्वास हो गया कि शासन युद्ध में भारत का सहयोग अपनी शर्तों पर चाहती है न की भारतवासियों की शर्तों पर। इस स्थिति में यदि कुछ न किया गया तो ब्रिटिश सरकार उनके धैर्य को कमजोरी मान लेंगी। अतएव अक्टूबर 1940 के वर्धा प्रस्ताव में गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना प्रस्तुत की जिसे स्वीकृत कर लिया गया। इस प्रकार गांधीजी इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे। साथ ही वह ब्रिटिश सरकार की गंभीर स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सीमित स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्णय लिया।[2] यह आंदोलन नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था।यह एक व्यक्तिगत प्रयास था जिसके अंतर्गत गांधीजी द्वारा चयनित सत्याग्रही जनसमूह के समक्ष युद्ध विरोधी नारे अथवा भाषण प्रस्तुत कर गिरफ्तार होने तक सत्याग्रह करता रहता था।

मध्यप्रांत के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का केन्द्र वर्धा के निकट स्थित गांधीजी का सेवाग्राम आश्रम था। यही पर प्रत्येक प्रांतीय कांग्रेस समिति सत्याग्रहियों की सूची गांधीजी के अनुमोदनार्थ भेजती थी तथा उनके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति ही सत्याग्रह कर सकते थे। गांधीजी चाहते थे कि केवल ऐसे व्यक्ति ही सत्याग्रही बने जिनका अहिंसा के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास हो तथा वे इसे मन, विचार, हृदय तथा कर्म से स्वीकार करते हो। सत्याग्रही के लिए आवश्यक होता था कि वह अपने सत्याग्रह की सूचना एक दिन पूर्व जिले के अधिकारियों को दे। इसे सत्याग्रह का दिन समय तथा स्थान की सूचना भी देनी पड़ती थी तथा नियत समय व स्थान पर सत्याग्रह करना होता था।[3] गांधीजी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोवा भावे का चयन किया था।

विनोवा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा से 6 मील दूर पावनेर नामक स्थान पर 575 व्यक्तियों की सभा में युद्ध

RRIJM 2015, All Rights Reserved

विरोधी भाषण देकर व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया।[4] इसके पश्चात् व्यक्तिगत सत्याग्रह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। जनवरी 1940 के अंत तक महाकौशल में गिरफ्तार एवं दण्ड प्राप्त सत्याग्रहियों की संख्या 2411 तक पहुँच गयी थी जो 15 फरवरी तक 2468 हो गयी।[5] 17 अक्टूबर 1941 को देशभर में इस आंदोलन की जयंती मनायी गई। इसके पश्चात् सत्याग्रहियों के उत्साह में कमी आने लगी। अतएव यह सत्याग्रह दिसम्बर 1941 तक रूक–रूक कर संचालित होता रहा।

एक ओर भारतीयों में असंतोष बढ़ता जा रहा था तो वही दूसरी ओर जर्मनी और जापान को द्वितीय विश्वयुद्ध में निरंतर सफलता मिल रही थी। अतः भारतीयों के सहयोग की आशा से 3 दिसम्बर 1941 को ब्रिटिश सरकार को यह घोषणा करने पर विवश होना पड़ा कि 'उसे विश्वास है कि भारत युद्ध में मित्र राष्ट्रों को अंतिम विजय प्राप्त होने तक बराबर सहायता करता रहेगा। कानून भंग सत्याग्रहियों का अपराध केवल सांकेतिक था, अतः वह प. जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित समस्त सत्याग्रही राजबंदियों को मुक्त करने का निर्णय करती है।'[6] इस घोषणा के अनुसार 4 दिसम्बर 1941 को समस्त राजबंदी मुक्त कर दिए गए। महात्मा गांधी ने 30 दिसम्बर 1941 को इस आंदोलन को कांग्रेस के नेतृत्व से मुक्त कर स्थगित कर दिया।[7]

सिवनी सतपुड़ा पर्वत की मनोरम वादियों में नागपुर–जबलपुर मुख्य मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण जिला है। यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। ब्रिटिशकाल में यहाँ का अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित तथा उबड़–खाबड़ भू–भाग वाला होने के कारण शिक्षा एवं संचार की दृष्टि से अधिक विकसित नहीं हो सका था। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा यहाँ के निवासियों ने स्वाधीनता संग्राम में अविस्मरणीय भूमिका का निर्वाह किया। 1885 से 1919 तक हुए राजनैतिक घटनाक्रम के फलस्वरूप सिवनी सहित सपूंर्ण मध्यप्रांतमें राष्ट्रीय आंदोलन हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हो गया था।

1920 के कांग्रेस के ऐतिहासिक नागपुर अधिवेशन के बाद शीघ्र ही गांधीजी ने मध्यप्रांत का व्यापक दौरा किया और जनता को कांग्रेस के निर्णयों से अवगत कराया। इस दौरान उनका सिवनी आगमन हुआ जिससे यहाँ तथा निकटवर्ती क्षेत्रों पर गांधीजी के भाषणों और विचारों का व्यापक परिलक्षित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिवनी जिले समेत समस्त मध्यप्रांत में नमक सत्याग्रह के विकल्प के रूप में जंगल सत्याग्रह अपनाया गया। सिवनी जिले के टुरिया नामक स्थान पर किया गया जंगल सत्याग्रह विशिष्ट महत्व रखता हैजिसमेंइस क्षेत्र के ग्रामीणों और जनजातियों के त्याग और बलिदान का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी ने अंत्यजों की सामाजिक स्थिति सुधारने हेतु मध्यप्रांत का व्यापक दौरा किया जिसके अंतर्गत उनका सिवनी आगमन हुआ। इस यात्रा के बाद सिवनी जिले में कांग्रेस संगठन भी सुदृढ़ होता रहा जिसका स्पष्ट प्रभाव 1940–41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में परिलक्षित हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभिक दौर में ही यहाँ के अनेक स्वतंत्रता प्रेमियों ने इसमें भाग लेने के लिए शपथ पत्र भरे जिससे स्पष्ट होता है कि इस जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति अपूर्व उत्साह एवं जोश विद्यमान था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने से पूर्व सत्याग्रही को गांधीजी को अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। सिवनी में यह अनुमति सर्वप्रथम पं. दुर्गाशंकर मेहता को मिली। उन्होंने छपारा में सत्याग्रह किया जिससे उन्हें गिरफ्तार कर एक वर्ष के कारावास का दंड दिया गया।[8] तत्पश्चात् प्रभाकर जठार को भी सत्याग्रह की अनुमति प्राप्त हो गयी। इन्होंने कान्हीवाड़ा में सत्याग्रह कर 6 माह का दंड दिया गया। इसके पश्चात् जिले के अन्य व्यक्तियों को भी सत्याग्रह की अनुमति दी गई तथा उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया।[9]

सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्तियों में अम्बिका प्रसाद वैद्य का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने लखनवाड़ा से व्यक्तिगत सत्याग्रह कर कारावास का दण्ड पाया। कुंज बिहारीलाल ने भोमा से, हरिश्चंद्र मालू ने लोपा से, रामप्रसाद जायसवाल ने खवासा से, मनोहरराव जठार ने पटारी से, राधाबाई जठार एवं दीपचंद भूरा ने सिवनी से सत्याग्रह किया।[10] इस आंदोलन के दौरान नारायणदास गुप्त ने 1941 में सैनिक अधिकारियों और शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर नौकरी त्यागकर व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। जबकि विरधीचंद गोयल वकील ने तिलक भूमि तलैया पर सर रिजनाल्ड मैक्सवे का पुतला दहनकर गिरफ्तारी दी।[11] कन्हैयालाल तिवारी ने 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया और इस आंदोलन में स्थानीय नागरिकों को भाग लेने के लिये प्रेरित किया। इस कारण उन्हें शासन की ओर से सिवनी जेल में कारावास की सजा दी गयी। इसी प्रकार छोटेलाल यादव, किशनदास ठाकुर, गुलाबचंद जैन संगीतप्रेमी, शिवदास डागा, रामदास खिलकर्ण इत्यादि ने इस सत्याग्रह में भाग लेकर इसे सफल बनाया।[12] फरवरी 1941 तक जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वालों की संख्या 35 हो गई थी।[13]

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लगभग 14 माह की दीर्घ अवधि तक चलने वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह इसके पूर्व संचालित अन्य आंदोलनों की अपेक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया गया। यद्यपि इस आंदोलन को अत्यंत सीमित स्तर पर प्रारंभ किया गया था तथापि इसने व्यापक रूप धारण कर लिया था। इस आंदोलन के प्रति संपूर्ण देश में उत्साह था तथा इसमें शीर्षस्थ नेता से लेकर साधारण नागरिकों तक ने जेल यात्रायें की। मध्यप्रांत के सिवनी जिले के जनमानस ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस सत्याग्रह को

सफल बनाया। इसके लिए यहाँ की जनता ने अद्भुत त्याग किये, यातनाएं सही, गिरफ्तारी दी और आर्थिक हानि उठायी। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिशकाल में यहाँ का अधिकांश क्षेत्र शिक्षा एवं संचार की दृष्टि से अधिक विकसित नहीं हो सका था। इसके बाद भी इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न होना तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह में इस क्षेत्र के निवासियों का बढ़चढ़कर भाग लेना अतिविशिष्ट घटना है।

संदर्भ

1. खुराना, के.एल. एवं शर्मा, आर.सी. ; बीसवीं शताब्दी का विश्व, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा 2005 पृ. 298–299
2. चन्द, विपिन; भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990, पृ. 363
3. शर्मा, देवेश; मध्यप्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह, वैभव प्रकाशन, रायपुर, 2006, पृ. 96–97
4. ठाकुर,डॉ.(श्रीमती) एग्नेश; मध्यप्रांत एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन, शारदा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1998, पृ. 232
5. एम.पी.सी.सी. पेपर्स फाईल नं. पी– 12/1940–41 भाग एक
6. माहेश्वरी, रामगोपाल; शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ, इतिहास खण्ड, 1955, पृ. 159
7. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्नेश; वही, पृ. 237
8. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाग– एक, जबलपुर संभाग सूचना प्रकाशन विभाग,1978 पृ. 224
9. वही
10. खिरवड़कर एस.जी.; मध्यप्रदेश संदेश स्वाधीनता आंदोलन विशेषांक 15 अगस्त 1987 जनसंपर्क संचनालय, भोपाल, पृ. 109–114
11. पाठक, जे.पी.; सिवनी कल आज और कल, कोणार्क कम्प्यूटर्स, सिवनी, 2004 पृ. 15
12. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वही, पृ. 22
13. एम.पी.सी.सी. पेपर्स फाईल, वही

RRIJM 2015, All Rights Reserved